REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331 (UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 7 | APRIL - 2018

सायबर अपराध एवं सायबर विधि

डॉ. चारू चन्द्र व्यास[1] , श्री रमेश शुक्ल[2]
[1]सहायक प्राध्यापक एल एन सीटी विश्वविद्यालय कोलार रोड भोपाल.
[2]शोधार्थी (विधि) एल एन सी टी विश्वविद्यालय भोपाल.

प्रस्तावना :

शब्द "सायबर लॉ" अंग्रेजी भाषा के दो शब्द cyber और "Law" से मिलकर बना है जिसमें cyber शब्द से तात्पर्य संसूचना और Law शब्द से तात्पर्य विधि है | अत:साइबर लॉ सामान्य अर्थों में संसूचना से सम्बंधित विधि है संसूचना से तात्पर्य किसी प्रकार की सूचना से है जिसे लोग कम्प्यूटर, नेटवर्क, डाटा, सॉफ्टवेर, वेबसाइट, इन्टरनेट, सेलफोन, डिजिटल सहायक इत्यादि के माध्यम से आदान–प्रदान करते हैं और विधि से तात्पर्य आचरण के उन नियमों से है जो सम्बंधित सरकार के द्वारा अनुसमर्थित हो, और किसी देश के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में लागू हो एवं उस राज्य क्षेत्र के सभी व्यक्तियों द्वारा उसका पालन किया जा रहा हो | अत: साइबर लॉ ऐसी विधि है जो साइबर स्पेस को शासित करती है| उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है|

कुंजीशब्द (1) कम्प्यूटर, (2) नेटवर्क, (3) डाटा, (4) सॉफ्टवेर, (5) वेबसाइट, (6) इन्टरनेट,

भूमिका

वर्तमान युग में सूचना के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास होने से इस तकनिकी का कुछ लोग द्वारा दुरूपयोग भी किया जाने लगा है जिसे साइबर क्राइम या साइबर अपराध की संज्ञा दी गई है| इस प्रकार के अपराध में कम्प्यूटर की अहम् भूमिका होती है तथा कम्प्यूटर संचार / युक्ति का एक ऐसा साधन और औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है इन्टरनेट के कारण एक कम्प्यूटर का दूसरे कम्प्यूटर से जुड़ाव बना रहा रहता है इसी इन्टरनेट के कारण ही अपराधीगण अपराध को आसानी से अंजाम दे जातें हैं| और ऐसे अपराधियों को पहचान पाना और उनके खिलाफ कार्यवाही करना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है| इन्टरनेट के माध्यम से दूर देश में बैठा हुआ व्यक्ति भारत या किसी अन्य देश में किसी व्यक्ति से धन की उगाही कर सकता है औरकिसी प्रख्यात व्यक्ति के मान सम्मान को हानि पहुंचा सकता है , बहुत गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का असामाजिक तत्वों / दुश्मनों को भेज सकता है | इसके अलावा अब इतने तरह के सायबर अपराध विकसित हो चुकें हैं कि उपचार स्वरुप नये दण्ड विधान की आवश्यकता थी इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा एक नया कानून सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नाम से पारित किया गया है |

सायबर अपराधियों द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराध, अवैध वस्तुओं की खरीदफॉरोख्त, जुआ खेलना, जालसाजी, दुष्प्रचार, पासवर्ड की चोरी आदि अपराध आये दिन किये जातें हैं इन सब अपराधों के अलावा पासवर्ड की चोरी, ई – मेल बाम्बिंग, बौद्धिक सम्पदा से सम्बंधित अपराध, सलामी अटैक, वायरस, वार्म अटैक, इन्टरनेट समय की चोरी, हैकिंग आदि अपराध आए दिन घटित हो रहे हैं |

सयुंक्त राष्ट्र संघ के कम्प्यूटर अपराध नियंत्रण और निवारण मैनुअल के अनुसार सायबर अपराध ऐसा अपराध है जिसमे ठगी, जालसाजी और अनधिकृत प्रवेश सम्मिलित होता है सायबर अपराध एक विश्वव्यापी और एक जटिल समस्या का रूप ले चुका है | यह टेक्नोलॉजी के क्रमिक विकास के साथ – साथ और विकसित तथा परिवार्तित होता जा रहा है यह अपराध मौलिकत: दो रूपों में है :- कम्प्यूटर एवं मोबाइलफ़ोन से छेड़छाड़ (धारा 43 ए 66 IT Act 2000) और कम्प्यूटर अथवा मोबाइल फोन अथवा डिजिटल सहायक (PDA) द्वारा किये जाने वाले अपराध (धारा 66- क से 66 च तक 67, 67 – क से 67 ग तक)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अध्याय 9 एवं 11 में विभिन्न प्रकार के सायबर अपराधों के विषयों में है | इस अधिनियम में सायबर अपराध तथा उनके अन्वेषण से सम्बंधित महत्वपूर्ण धाराएँ43, 65, 66-क से ग, 77 –क, 77-ख, 78 तथा 80 है|

धारा 43 में कम्प्यूटर में अनधिकृत पहुँच तथा अनधिकृत डाउनलोडिंग आदि के लिए जुर्माने का प्रावधान (धारा 66) है | इसी तरह धारा 65 कम्प्यूटर स्रोत दस्तावेज से छेड़छाड़ के बारे में प्रावधान करती है | धारा 66 कम्प्यूटर में सम्बंधित अपराध (धारा 43) और धारा 67 अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रानिक प्रकाशन के विषय में उल्लेख करती है | इसी क्रम में धारा **67–क** में इलेक्ट्रानिक रूप में लैंगिक प्रदर्शन कार्य आदि सामग्री के इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, धारा **67–ख** में कामवासना में भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रकाशित या परेषित करने के लिए दण्ड का प्रावधान किया है | धारा **66-क** में संसूचना आदि द्वारा आक्रमण संदेश भेजने के लिए धारा 66-ख में चुराए गए कम्प्यूटर संसाधन या संचार को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए धारा 66-ग में पहचान के चोरी के लिए धारा 66-घ में कम्प्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए, धारा 66-ड में एकांत उलंघन के लिए तथा 66-च में सायबर आदि के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है | इस प्रकार इस अधिनियम में आपराधिक एवं सिविल दोनों ही प्रकृति के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं| जहाँ कोई व्यक्ति किसी कम्प्यूटर या संचार युक्ति में अनाधिकृत पहुँच करता है वह सिविल दायित्व के अधीन होगा| इसके कुछ उदहारण है जैसे – मानहानि सायबर स्केटिंग, इन्टरनेट समय की चोरी, कॉपीराइट का उल्लंघन आदि, और जहाँ वह इस सम्बन्ध में कोई अपराध करता है वहां वह अपराधिक दायित्व के अधीन होगा | इसके कुछ उदहारण जैसे – सायबर कपट, सायबर जुआ, सायबर आतंकवाद, डाटा चोरी, धमकी संदेश भेजना इत्यादि|

कुछ साइबर अपराध इसे भी होते है जिनमें भारतीय दण्ड सहिंता तथा अन्य विनिर्दिष्ट अधिनियम लागू होते है जैसे भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 463 (सायबर कूटरचना) धारा 420 (सायबर छल) धारा 417 (प्रतिरूपण द्वारा छल),मादक पदार्थों की ऑनलाइन विक्री (धारा 15 to 29 N.D.P.S. Act) शस्त्रों की ऑनलाइन बिक्री (धारा 5 एवं 25 आयुध अधिनियम) मानहानिकारक संदेश धारा 500 भ.द.वि. धमकी भरे फोन या संदेश धारा 507 भ.द.वि. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से शब्द अंगविक्षेप या कार्य धारा 509 भ.द.वि. इसके अतिरिक्त अन्य अधिनियम भी जिनका सम्बन्ध सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम से है वे है पराक्रम्य लिखत अधि.1881 बैंकर बही साक्ष्य अधि. 1891 या साक्ष्य अधि. 1872 भारतीय रिज़र्व बैंक अधि. 1934, आयकर अधि. 1961, अपकृत्य विधि. विक्रय कर अधिनियम कम्पनी एक्ट 1956, भारतीय सविंदा अधि. 1872, कॉपीराइट एक्ट 1957, विवाह विच्छेद अधि.1869, फेमा- 1999 भागीदारी अधि. 1932, सार्वजानिक द्युत अधिनियम 1867 । सायबर अपराधों के सम्बन्ध में साक्ष्य विधि के सिद्धान्त लागू होते है| इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को साक्ष्य में ग्राह्य करने हेतु कुछ संसोधन साक्ष्य विधि में किये गये है | जैसे दस्तावेज शब्द जोड़ा गया है वहीँ इसे दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य करने हेतु धारा65 क तथा 65 ख में सिद्धान्त बताये गये हैं साथ ही धारा 47 क (इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में राय)।

धारा 73 क (डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत) एवं धारा 34 (इलेक्ट्रानिक रूप में रखी गयी लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ) आदि प्रावधानों को साक्ष्य विधि में सम्मिलित कर इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को मान्यता प्रदान की गयी है तथा इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय की सुसंगता के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79-क में प्रावधान किया गया है जो यह कहती है की जब न्यायलय को किसी कार्यवाही में किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर साधन या किसी इलेक्ट्रानिक या अंकीय रूप में परेषित या भण्डारित किसी सूचना से सम्बंधित किसी विषय पर कोई राय बनानी होती है तो इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की ऐसी राय इस धारा अधीन सुसंगत है | इलेक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक वह व्यक्ति होगा जिसे केंद्र या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचित करे| इलेक्ट्रानिक साक्ष्य की ग्राहयता के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा निम्न निर्णय दिये गये हैं–

सी.बी.आई विरूद्ध अभिषेक वर्मा; 2009 (6 एससीसी 300) की मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे साक्ष्य जो पेनड्राइव, सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव या प्लापी में स्टोर हो उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा **65 ख** में दी गयी शर्तों की पूर्ती के पश्चात् न्यायालय में पेश किया जा सकता है|

साक्षी बनाम भारत संघ ए.आई.आर (2004 एससी 3566) – बलात्कार आदि मामले में पीड़िता को एक शांतिप्रिय वातावरण में गवाही देने के लिए जिसे किसी भी प्रकर का भय डर न हो वीडियो कान्फ्रेंसिंग से न्यायालय में साक्ष्य दर्ज कराना एक अति उत्तम स्रोत है |

स्टेट विरुद्ध नवजोत संधू 2005 (3) क्राइम्स 184 (एससी) संसद पर हमले में न्यायालय ने आतंकवादी के पास से पकड़े गये सिम कार्ड, कॉल डिटेल, लैपटॉप, मोबाइलफोन तथा उसके आइएमईआई नं. को साक्ष्य माना |

राज्य विरुद्ध अँजल 107; 2007 (डीएलटी 385) संसद के मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रिंट आउट के सम्बन्ध में न्यायालय ने कहा की साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख; 4द्ध के अन्तर्गत यदि प्रक्रिया से सम्बंधित अधिकारी द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया गया है तो यह साक्ष्य के रूप ग्राहय है|

महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध अब्दुल कसाब केस नं.-2/2010 – बाम्बे उच्च न्यायालय नें मुम्बई में आतंकवादी हमले की जांच से पता चला की आतंकवादियों ने इलेक्ट्रानिक रूप से जीपीएस तकनीक, मोबाइल फोन, सेटेलाईट फोन आदि को आधुनिक रूप से संचालित किया और साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया|

एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में सेना से सम्बंधित गोपनीय तथा विशिष्ट सूचनाएँ जो राष्ट्र विरोधी थी एक पेनड्राइव में पकड़ी गई | पेनड्राइव में बहुत सारे ई-मेल तथा इन्टरनेट चैटिंग का व्योरा था| इसी आधार पर वायुसेना के कुछ अवकाश प्राप्त अधिकारी सहित अन्य लोगों को पकड़ा | माननीय उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को नामंजूर किया|

प्रभू बनाम महाराष्ट्र राज्य 2008 सीआरएलजे एलओसी 1158

साइबर अपराध के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकारी एवं शक्तियां:-

इस अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधिकारी को वही अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है जो दप्र.सं. के अधिनियम एक पुलिस अधिकारी को प्राप्त हैं परन्तु इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है | इस अधिनियम के अधीन 3 वर्ष तक कारावास से दण्डित अपराध जमानतीय होंगे तथा 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे|

साइबर अपराध की रोकथाम

1. फर्जी आई.डी. अथवा गलत सूचना के साथ आई.डी. नहीं बनाना चाहिए|
2. आई.डी. बनाते समय सही जानकारी देना चाहिए|
3. इंटरनेट पर ऑनलाइन खरीदारी भुगतान आदि करते समय निम्नसावधानी बरतनी चाहिए।

- हमेशा किसी प्रतिष्ठित वेबसाइट से ही खरीददारी करें|
- डेबिट कार्ड का प्रयोग न करें|
- विशिष्ट इंटरनेट कार्ड का प्रयोग करें|
- ऑनलाइन की सभी रसीद, ई-मेल, प्रिंट आउट डिलिवरी रसीद वारंटी आदि के कागजात संभाल कर रखें|
- अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक करें|
- सदैव किसी वेबसाइट पर जाने से पहले http:// के स्थान पर https:// लगाये
- साइबर कैफे या बाहरी कम्प्यूटर से खरीददारी न करें|
- भुगतान के समय अपना क्रेडिट कार्ड सदैव आमने-सामने स्वैप कराये तथा कार्ड तुरन्त वापस ले|
- किसी दूसरे व्यक्ति को अपना क्रेडिट कार्ड और पासवर्ड न दें|
- अपना बैंक एकाउंट का नंबर ओ.टी.पी. किसी को न दे। बैंक किसी भी ग्राहक से एटीम नंबर उसका पासवर्ड या ओ.टी.पी. नहीं पूछते।

ए.टी.एम कार्ड रखने पर सावधानियां

- पिन नं. सदैव गुप्त रखें व किसी दूसरे को न बताये तथा अंतरालों में पिन बदलते रहें|
- कार्ड पर पिन नं. न लिखें|
- एटीएम मशीन को पहले चेक कर लें कि कोई छुपा हुआ कैमरा तो नहीं लगा|
- अपना पिन नं. कभी भी ई-मेल या चैटिंग में न लिखे|
- पैसा निकालते समय किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता न लें|
- अकाउंट सदैव चेक करें एवं रसीद नष्ट कर दें| कार्ड खोने या गिरने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें|

यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती अथवा बंदूक की नोक पर एटीएम मशीन से पैसा निकालने को कहता है तो क्या करें-

- आप उसके साथ एटीएम पर जाये
- अपना कार्ड डाले पर सदैव यह याद रखे की उस समय आपको अपना पिन नं उल्टा डालना है जैसे आपका पिन नं 2019 है तो आपको पिन नं.9120 डालना होगा|

- मशीन उस उल्टे पिन को स्वीकृत करेगी पैसे निकल देगी परन्तु पुलिस को100 नंबर डायल कर देगी जिससे पुलिस वहीँ आ जायेगी |

सोशल नेटवर्किंग साईट जैसे औरकोट फेसबुक आदि पर की जाने वाली सावधानियां

- अन्जान व्यक्ति से न मित्रता करें न ही अन्जान व्यक्ति से मित्रता का आग्रह स्वीकार करें |
- सदैव शिष्टता बनायें रखें एवं अच्छी भाषा का प्रयोग करें| तथा अश्लील सामग्री को लीड करने से बचें|
- जिसे आप न जानते हों उसके बॉक्स में जबरदस्ती टिप्पणी न करें |
- मित्रता स्वीकार करने से पहले यह देख लें कि क्या कोई म्यूचल मित्र भी है|
- अपने मित्र लिस्ट को सूचीबद्ध ग्रुप में बांट लें|

मोबाइल फोन का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ

- मोबाइल का सिग्नल पॉवर 2 वाट्स -33 Ddl होते हैं इसलिए इससे बात करने के अतिरिक्त कान के समीप न रखें|
- सदैव बाये कान से बात सुने क्योंकि दाहिने ओर से मस्तिष्क प्रभावित होता है|
- अगर आप नेटवर्क एरिया से बाहर हैं और नये स्थान का नेत्वर्क तलाश रहे हैं तब वर्ल्ड वाइड नंबर 112 डायल करें
- किसी लोकल इमरजेंसी के लिए सेवादाता का 912 डायल करें |
- मोबाइल फोन हैकिंग से बचें |
- हैकर पहले एक मैसेज एसएमएस /एमएमएस/ ब्लूटूथ से भेजते हैं तो मैसेज जब प्राप्त की जाती हैतो हैकर उस फोन को तकनीकी माध्यम से हैक कर लेते हैं और उपभोक्ता की सारी काले सुनते हैं एसएमएस पढ़ते हैं तथा छेड़छाड़ करते हैं तथा फोटो आदि देखते हैं इसके अतिरिक्त सारा डेटा बदल देते हैं|
- इस सम्बन्ध में यदि उपभोक्ता को इसकी आशंका होती है तो टोल फ्री नं.1800110420 या 1963 डायल करें (भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अनुसार)

उपसंहार

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 साइबर अपराध को रोकने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है लेकिन अभी भी बहुत ऐसे मामले हैं जैसे साइबर आतंकवाद आदि| जिसके माध्यम से आतंकवादियों द्वारा अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई पर आतंकी हमला करते वक्त सूचना प्रौद्योगिकी का बखुबी इस्तेमाल किया था|लिहाजा जरुरी है की शासन शीघ्र ही इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करे इसके तहत अपराधी पकड़ा जा सके | कानून में व्यापक प्रावधान हो ताकि इसमें सहायता करने वाले भी पकड़ में आ सके। सरकार नोडल एजेंसी को और अधिक मजबूत करना चाहिये जो साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कम करे | अमेरिका तथा अन्य देशों में यह कानून बहुत ही सख्त है हमें उन्ही उन्ही कानूनों की ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ कड़े प्रावधान करना चाहिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
- सूचना प्रौद्योगिकी कानून– डॉ.बसंतीलाल बाबेल |
- साइबर क्राइम – अमिताभ ठाकुर एवं मो.हसन जैदी|
- जर्नल ए.आई.आर.आदि |